रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II— खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 199] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 11, 2008/चैत्र 22, 1930
No. 199] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 11, 2008/CHAITRA 22, 1930

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2008

सा.का.नि. 280(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) द्वितीय संशोधन नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची I में,—

(क) 'क्रियान्वयन अनुसूची सहित पेट्रोल और मिट्टी के तेल से चलने वाले नए जेनरेटर सेट (19 किलोवाट तक) के लिए उत्सर्जन मानक' से संबंधित क्रम संख्यांक 88 के पैरा घ में विद्यमान मद संख्यांकों को क्रमशः (i), (ii), (iii) और (iv) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार से पुन:संख्यांकित मद संख्या (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित मद संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(v) इंटरनेशनल सेंटर फॉर आटोमोटिव टेक्नोलॉजी, मानेसर (हरियाणा)";

(ख) 'जेनरेटर सेटों (जेनसेट) के प्रयोग में नए डीजल इंजनों (800 किलोवाट तक) के लिए उत्सर्जन सीमा'; से संबंधित क्रम संख्यांक 95 के उप-पैरा 8 में मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अंत: स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(iii) इंटरनेशनल सेंटर फॉर आटोमोटिव टेक्नोलॉजी, मानेसर (हरियाणा)" ।

[फा. सं. क्यू-15022/2/01-सी.पी.ए. पीटी]

आर.के. वैश, संयुक्त सचिव

टिप्पण :— मूल नियम भारत के राजपत्र में का.आ. 844(अ) तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और का.आ. 433(अ) तारीख, 18 अप्रैल, 1987, का.आ. 64(अ) तारीख 18 जनवरी, 1988, का.आ. 3(अ) तारीख 3 जनवरी, 1989, का.आ. 190(अ) तारीख 15 मार्च, 1989, सा. का.नि. 913 (अ) तारीख 24 अक्तूबर, 1989, का.आ. 12(अ) तारीख 8 जनवरी, 1990, सा.का.नि. 742(अ) तारीख 30 अगस्त, 1990, का.आ. 23(अ) तारीख 16 जनवरी, 1991, सा.का.नि. 93(अ) तारीख 21 फरवरी, 1991, सा.का.नि. 95(अ) तारीख 12 फरवरी, 1992, सा.का.नि. 329(अ) तारीख 13 मार्च, 1992, सा.का.नि. 475(अ) तारीख 5 मई, 1992, सा.का.नि. 797(अ) तारीख 1 अक्तूबर, 1992, सा.का.नि. 386(अ) तारीख 28 अप्रैल, 1993, सा.का.नि. 422(अ) तारीख 19 मई, 1993, सा.का.नि. 801(अ) तारीख 31 दिसम्बर, 1993, सा.का.नि. 176(अ) तारीख

3 अप्रैल, 1996, सा.का.नि. 631(अ) तारीख 31 अक्तूबर, 1997, सा.का.नि. 504(अ) तारीख 20 अगस्त, 1998, और सा.का.नि. 7(अ) तारीख 2 जनवरी, 1999, सा.का.नि. 682(अ) तारीख 5 अक्तूबर, 1999, सा.का.नि. 742(अ) तारीख 25 सितम्बर, 2000, सा.का.नि. 72(अ) तारीख 6 फरवरी, 2001, सा.का.नि. 54(अ) तारीख 22 जनवरी, 2002, सा.का.नि. 371(अ) तारीख 17 मई, 2002, सा.का.नि. 489(अ) तारीख 9 जुलाई, 2002, का.आ.1088(अ) तारीख 11 अक्तूबर, 2002 और सा.का.नि. 849(अ) तारीख 30 दिसम्बर, 2002, सा.का.नि. 520(अ) तारीख 1 जुलाई, 2003, सा.का.नि. 92(अ) तारीख 29 जनवरी, 2004, सा.का.नि. 448(अ) तारीख 12 जुलाई, 2004, शुद्धिपत्र, सा.का.नि. 520(अ) तारीख 12 अगस्त, 2004, सा.का.नि. 272(अ) तारीख 5 मई, 2005, सा.का.नि. 315(अ) तारीख 16 मई, 2005, सा.का.नि. 546(अ) तारीख 30 अगस्त, 2005, सा.का.नि. 46(अ) तारीख 3 फरवरी, 2006, सा.का.नि. 464(अ) तारीख 7 अगस्त, 2006 और सा.का.नि. 566(अ) तारीख 29 अगस्त, 2007, सा.का.नि. 704(अ) तारीख 12 नवम्बर, 2007 और सा.का.नि. 186(अ) तारीख 18 मार्च, 2008 द्वारा उनमें पश्चात्वर्ती संशोधन किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2008

G.S.R. 280(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Second Amendment Rules, 2008.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule 1,—

   (a) in serial number 88, relating to 'Emission Standards for new generator sets (upto 19 kilowatt) run on petrol and kerosene with implementation schedule'; in paragraph D, existing item number shall be renumbered as (i), (ii), (iii) and (iv) respectively, and after item number (iv) so renumbered, the following item number and entries shall be inserted, namely :—

   "(v) International Centre for Automotive Technology, Manesar (Haryana)";

   (b) in serial number 95, relating to 'Emission Limits for New Diesel Engines (upto 800 KW) for Generator sets (Gensets) Applications'; in sub-paragraph 8, after item (ii) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely :—

   "(iii) International Centre for Automotive Technology, Manesar (Haryana).".

[F. No. Q-15022/2/01-CPA(Pt.)]

R. K. VAISH, Jt. Secy.

Note :— The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number S.O. 844(E) dated 19th November, 1986 and subsequently amended *vide* S.O. 433(E) dated 18th April, 1987, S.O. 64(E) dated 18th January, 1988, S.O. 3(E) dated 3rd January, 1989, S.O. 190(E) dated 15th March, 1989, G.S.R. 913(E) dated the 24th October, 1989, S.O. 12(E) dated the 8th January, 1990, G.S.R. 742(E) dated the 30th August, 1990, S.O. 23(E) dated the 16th January, 1991, G.S.R. 93(E) dated the 21st February; 1991, G.S.R. 95(E) dated the 12th February, 1992, G.S.R. 329(E) dated the 13th March, 1992, G.S.R. 475(E) dated the 5th May, 1992, G.S.R. 797(E) dated the 1st October, 1992, G.S.R. 386(E) dated the 28th April, 1993, G.S.R. 422(E) dated the 19th May, 1993, G.S.R. 801(E) dated the 31st December, 1993, G.S.R. 176(E) dated the 3rd April, 1996, G.S.R. 631(E) dated the 31st October, 1997, G.S.R. 504(E) dated the 20th August, 1998, G.S.R. 7(E) dated the 2nd January, 1999, G.S.R. 682(E) dated the 5th October, 1999, G.S.R. 742(E) dated the 25th September, 2000, G.S.R. 72(E) dated the 6th February, 2001, G.S.R. 54(E) dated the 22nd January, 2002, G.S.R. 371(E) dated the 17th May, 2002, G.S.R. 489(E) dated the 9th July, 2002, S.O. 1088(E) dated the 11th October, 2002 and G.S.R. 849(E) dated the 30th December, 2002, G.S.R. 520(E) dated 1st July, 2003, G.S.R. 92(E) dated 29th January, 2004, G.S.R. 448(E) dated 12th July, 2004, Corrigenda, G.S.R. 520(E) dated 12th August, 2004, G.S.R. 272(E) dated 5th May, 2005, G.S.R. 315(E) dated 16th May, 2005, G.S.R. 546(E) dated 30th August, 2005, G.S.R. 46(E) dated 3rd February, 2006, G.S.R. 464(E) dated 7th August, 2006 and G.S.R. 566(E) dated 29th August, 2007, G.S.R. 704(E) dated 12th November, 2007 and G.S.R. 186(E) dated 18th March, 2008.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.